भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2692

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/ 26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"जीवन रक्षक' जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी"

2692. **श्री पुष्पेंद्र सरोज:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'जीवन रक्षक' जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर लगाए गए 18 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार 'जीवन रक्षक' जीवन बीमा पॉलिसियों (चिकित्सा) के लिए जमा किए जा रहे प्रीमियम की राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत शामिल करने का है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) : सभी सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरें और छूटें जीएसटी परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें संघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सदस्य शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी का मुद्दा दिनांक 09 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित उनकी 54वीं बैठक में जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के संयोजकत्व में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया।

दिनांक 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक ने जीओएम की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें जीएसटी परिषद के समक्ष रखने के लिए और समय मांगा। परिषद ने मंत्रि समूह को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए और समय देने पर सहमति जताई।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80घ के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती की अनुमति पहले से ही दी गई है।

****